# निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

**प्रकरण सख्यांः—198 / 2022 प्रार्थनापत्र**
**दायर दिनांकः— 16 / 08 / 2022**
**निर्णय दिनांकः— 10 / 09 / 2025**

अनवान

1. संग्रामसिंह पिता फतहसिंह जाति राजपूत निवासी कुन्दवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

———प्रार्थी

बनाम

1. मदनसिंह पिता फतहसिंह जाति राजपूत निवासी कुन्दवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट**

**: : निर्णय : :**

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थी की स्वामित्व एंव अधिपत्य की भूमि राजस्व ग्राम कुन्दवा में खाता संख्या 247 आराजी संख्या 653 / 4 रकबा 1.3600 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी को अपने घर से अपनी कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि पर कृषि कार्य हेतु आने जाने में अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी आराजी संख्या 653 / 11 रकबा 0.1900 हैक्टयर, आराजी संख्या 653 / 1 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 653 / 10 रकबा 0.4700 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 653 / 6 रकबा 1.6400 हैक्टेयर जिसमें से वर्षो से आ जा रहा है। प्रार्थी

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)



सहायक कलक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

अपने खेतो पर आने जाने के लिये अप्रार्थी की कलम संख्या 02 में वर्णित आराजीयात मे से 20 फीट चौड़ा रास्ता हेतु ट्रेक्टर ट्रोली वगैरहा लेकन आना जाना होता रहता है जिससे प्रार्थी इसमें स्थायी रास्ता चाहते है एवं इन आराजीयात के अलावा सीधा कोई रास्ता नहीं है। आराजी संख्या 653/11 रकबा 0.1900 हैक्टयर, आराजी संख्या 653/1 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 653/10 रकबा 0.4700 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 653/6 रकबा 1.6400 हैक्टेयर के खातेदार अप्रार्थी है। प्रार्थी को उपरोक्त खेतो के किनारे किनारे होकर आने व जाने के लिये 20 फिट चौड़ा रास्ता की आवश्यकता रहती है तथा इसके लिये नियमानुसार डी0एल0सी0 रेट से शुल्क जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी कलम संख्या 01 में वर्णित आराजी नम्बरों के सह खातेदार है। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजी संख्या 653/4 रकबा 0.3600 हैक्टेयर कृषि कार्य के लिये आ जा रहे थे जो प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या है उसमे अप्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या आराजी संख्या 653/11 रकबा 0.1900 हैक्टयर, आराजी संख्या 653/1 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 653/10 रकबा 0.4700 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 653/6 रकबा 1.6400 हैक्टेयर में काफी वर्षों से पगडंडी के रूप में कृषि कार्य करने हेतु कृषि यन्त्र ट्रेक्टर वगैराह लेकन आना जाना रहता है। जिसमें लगभग 20 फिट चौड़ा रास्ते कि आवश्यकता होने से व उक्त रास्ते के लिए डीएलसी दर से जो राशि बनेगी वह जमा करवाने को तैयार है। अतः श्रीमान् से न्यायालय से निवेदन है कि रास्ता दिलवाने का आदेश प्रदान करवाने की कृपा करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई अप्रार्थी को जरिये समन्न तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया कि प्रार्थना की कॉलम संख्या 01 स्वीकार है। प्रार्थना की कॉलम संख्या 02 स्वीकार है। प्रार्थना की कॉलम

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)



सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

संख्या 03 अस्वीकार है। प्रार्थना की कॉलम संख्या 04 स्वीकार है। प्रार्थना की कॉलम संख्या 05 अस्वीकार है। प्रार्थना की कॉलम संख्या 06 स्वीकार है। प्रार्थना की कॉलम संख्या 07 कानूनी है। प्रार्थना की कॉलम संख्या 08 स्वीकार है। जवाब के विशेष उत्तर में अप्रार्थी प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी व अप्रार्थी व अन्य काश्तकार सभी बरसों से वादी की जमीन जिसके खसरा संख्या 677 से पीढ़ियों आते जाते रहे हैं। आराजी संख्या 677 अपनी बहुओं के नाम से खरीद कर रखी है व इसी खसरा संख्या से प्रार्थी अप्रार्थी व अन्य पड़ौसी काश्तकार पीढ़ियों आते जाते रहे है। प्रार्थी आराजी संख्या 677 में मैग्जिन लगा रखी हैं जिसमें वर्तमान में आने जाने हेतु रास्ता बना हुआ हैं उक्त रास्ते से बड़ी—बड़ी गाडिया आ—जा रही है। वादी/प्रार्थी की आराजी संख्या 677 अप्रार्थी की जमीन से मिली हुई जमीन है। प्रार्थी अगर रास्ता चौड़ा करवाना चाहता है तो कुछ जमीन प्रार्थी आराजी संख्या 677 से छोड़े कुछ जमीन अप्रार्थी अपनी जमीन में छोड़ने को तैयार है जिससे रास्ता चौड़ा हो जायेगा। पूर्व में रास्ता चौड़ा हो जायेगा। पूर्व में रास्ता चौड़ा था पर प्रार्थी ने अपनी दीवार को गिराकर रास्ते की तरफ बढ़ गया और रास्ते को संकड़ा दिया है प्रार्थी अपनी दीवार को जहां पूर्व में कायम था वहां पर दीवार बनाये तो रास्ता पूर्व की तरह चौड़ा हो जायेगा। प्रार्थी के पड़ौसी काश्तकार नारूलाल, भगवतीलाल, कालुलाल, भैरू, धर्मा, जस्सा, चांदु, लालु, कल्याणसिंह, नारायणसिंह, संग्रामसिंह अप्रार्थी मदनसिंह आदि पड़ौसी भी खसरा संख्या 677 से ही बरसों से आते जाते रहे है। स्वयं प्रार्थी ने पूर्व की दिवार को गिराकर रास्ते में बढ़ गया इसलिये रास्ता संकड़ा हो गया इसलिये प्रार्थी स्वयं रास्ते के लिये जमीन छोड़ेगा तो रास्ता पूर्व की तरह चौड़ा हो जायेगा। प्रार्थी द्वारा बताई गई पैतृक सम्पत्ति का वर्ष 2019 में न्यायालय से विधिवत् बंटवाड़ा डिक्री जारी होकर बंटवाडा हो चुका है।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

प्रकरण में तहसीलदार, देवगढ़ से मौका रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार ग्राम कुन्दवा के आराजी संख्या 653/4 रकबा 1.3600 हैक्टेयर किस्म बीड–। दर्ज खातेदारी होकर संग्राम सिंह पिता फतहसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज है। ग्राम कुन्दवा के आराजी संख्या 653/11 रकबा 0.19 हैक्टेयर 653/10 रकबा 0.47 हैक्टेयर 653/6 रकबा 1.64 हैक्टेयर दर्ज खातेदारी होकर मदनसिंह पिता फतहसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज है। ग्राम कुन्दवा के आराजी संख्या 653/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर दर्ज खातेदार होकर कल्याणसिंह पिता फतहसिंह हिस्सा 1/4 नारायणसिंह पिता फतहसिंह हिस्सा 1/4 मदनसिंह पिता फतहसिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपूत के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रस्तावित रास्ता आराजी संख्या 653/10 में से 348 मीटर व 03 मीटर चौड़ा व आराजी संख्या 655 में से 04 मीटर लम्बा व 3 मीटर चौड़ा होकर 12 वर्गमीटर प्रस्तावित है। जिसका कुल रकबा 0.036 हैक्टेयर होगा। राजस्व लेखाकार की रिपोट अनुसार प्रस्तावित भूमि की डी0एल0सी0 दर 423000 प्रति हैक्टेयर है जिसका 02 गुणा 89338/– रूपये बनता जो राशि राजकोष में जमा योग्य है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए में प्रतिपादित है कि:– [251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. - (1) Where - (a)a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b)a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the SubDivisional Officer, if he is

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)



सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

satisfied after a summary inquiry, that (i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted. (2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records. (3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.]

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के खेत पर जाने के लिए मांगा गया रास्ता नितान्त आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम कुन्दवा पटवार हल्का कुन्दवा तहसील देवगढ़ में प्रार्थी की आराजी संख्या 653 / 4 रकबा 1.3600 हैक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु आराजी संख्या 653 / 10, 655 में तहसीलदार, देवगढ़ की रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार बिलानाम रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी से उक्त रकबे की वर्तमान प्रचलित पंजीयन दर अनुसार दो गुना राशि वसुल कर अप्रार्थीगण को उनके हिस्से अनुसार नियमानुसार राशि भुगतान की कार्यवाही की जावे। तहसीलदार,देवगढ़ एवं पटवार हल्का द्वारा पेश नक्शा ट्रेस निर्णय का हिस्सा रहेगा। पालना हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10 / 09 / 2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्द